आवश्यक सूचना शुद्धि

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैण्ड़, फोटोस्टेट दुकान नं0–1, फोटोस्टेट दुकान नं0–2, पान की दुकान नं0–1, पान की दुकान नं0–2 एवं रेहड़ी दाल मौठ) के ठेके की नीलामी वित्तीय वर्ष 2020–2021 हेतु दिनांक 10.02.2020 को सांय 04:30 बजे रजिस्ट्री कार्यालय के पीछे बने सभा कक्ष में सम्पन्न होगी। नीलामी की जमानत धनराशि पान की दुकान नं0–1, पान की दुकान नं0–2 एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/– रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैण्ड़, फोटोस्टेट दुकान नं0–1 एवं फोटोस्टेट दुकान नं0–2 के लिए अंकन 1,00,000/– रुपये नीलामी से पूर्व जमा करनी होगी तथा नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड़ की छायाप्रति जमा करानी होगी। उपरोक्त प्रतिष्ठानों की नीलामी किये जाने वाले स्थान एवं शर्तों का अवलोकन करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:30 बजे तक कार्यालय नज़ारत जिला जजी सहारनपुर में सम्पर्क कर सकते है।

31/1/2020

दिनांक : 31.01.2020

(सुरेश चन्द भारती)
अपर जिला जज कक्ष सं0–1
अध्यक्ष नीलामी समिति
जिला जजी सहारनपुर।

नीलामी की नियम एवं शर्ते

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैण्ड़, फोटोस्टेट दुकान नं0–1, फोटोस्टेट दुकान नं0–2, पान की दुकान नं0–1, पान की दुकान नं0–2 एवं रेहड़ी दाल मौठ) के ठेके की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष 2020–2021 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते निर्धारित की गई है जिनका अनुपालन अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है और ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा ठेके की सम्पूर्ण धनराशि ठेकेदार से वसूल कर ली जायेगी।

1. दिनांक 31.03.2020 तक एक मुश्त जमा की गई, ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा किया जायेगा। किसी भी किश्त का समय से भुगतान न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

2. अनुज्ञप्ति धारक के किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।

3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथपत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अन्ड़रटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसैन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जायेगी।

4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते है और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते है।

5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देने से पूर्व दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/–रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैण्ड़ एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 1,00,000/– रुपये प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा करने होगें। बोली की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. ठेकेदारों को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिकमण नही किया जायेगा।

8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा साईकिल, स्कूटर एवं कार इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर के द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स, बिल या आयकर आदि यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ–सुथरा रखा जायेगा।

10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा।

2/–..........

11. ठेके की अवधि में यदि कोई वाहन चोरी होता है या पेट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्वक ढ़ंग से पूर्व की स्थिति के अनुसार खाली कर दिया जायेगा।

13. समस्त बोली प्राप्त करने वाले ठेकेदारों को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि एक मुश्त दिनांक 31.03.2020 तक जमा करानी होगी अन्यथा ठेका स्वत ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा, उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लधंन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा की जायेगी, उक्त में कोई त्रुटि होने पर उसके विरूद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायेगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।

16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट एवं गुटखा बेचना प्रतिबन्धित होगा।

17. विधुत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विधुत सब–मीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब–मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब–मीटर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विधुत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब–मीटर लगाने के बाद ही विधुत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विधुत कनेक्शन काट दिया जायेगा और पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।

18. ठेकेदार वाहनों की वसूली नगर निगम सहारनपुर द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

19. समस्त ठेकेदार अपने–अपने क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें एवं कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।

20. समस्त ठेकेदार इस आशय का शपथ–पत्र देगा कि वह पूर्व में ड़िफाल्टर नही है।

22/01/2020	22.1.20	22.1.2020
(अनिल कुमार-XI)	(विकास गोयल)	(सुरेश चन्द्र भारती)
मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	अपर जिला जज कक्ष सं0–10	अपर जिला जज कक्ष सं0–01
सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति
सहारनपुर।	सहारनपुर।	सहारनपुर।

23/1/20

District Judge
Saharanpur